न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती भावना सिंह. (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 25/2015
दायर दिनांक :— 09/09/2015
निर्णय दिनांक :— 07.07.2022

उनवान

1. श्री मोहनलाल पिता प्यारचन्द ब्राहम्ण निवासी जाशमा

वादी

बनाम

1. श्रीमती नरबदाबाई पिता रूपलाल ब्राहम्ण निवासी जाशमा पत्नी प्रभुलाल ब्राहम्ण
2. श्रीमती आनन्द कुंवर पिता रूपलाल ब्राहम्ण निवासी जाशमा पत्नी उंकारलाल ब्राहम्ण
3. श्रीमती गणेशीदेवी पिता रूपलाल ब्राहम्ण निवासी छापरी
4. श्री भंवरलाल पिता चम्पालाल ब्राहम्ण निवासी जाशमा
5. श्री रतनलाल पिता चम्पालाल ब्राहम्ण निवासी जाशमा
6. मु. सरजूबाई बेवा चम्पालाल ब्राहम्ण निवासी जाशमा
7. श्री जयप्रकाश मुतबन्ना डालचन्द ब्राहम्ण निवासी जाशमा
8. शाखा प्रबंधक, चित्तौड़गढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक लि., चित्तौड़गढ शाखा कपासन
9. तहसीलदार, भूपालसागर

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अंतर्गत धारा—53, 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति :— 1. श्री गोपाल दाधीच
2. श्री हरीश तुलछिया

—: निर्णय :—

वकील वादी की और से एक वादपत्र बाबत् बंटवाडा आराजियात अंर्तगत धारा—53, 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया । जिसक संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है।

यह है कि मौजा जाशमा पटवार हल्का जाशमा तहसील भूपालसागर के हल्के बेरूनी मे वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात आ.नं. 5335 रकबा 0.04 है., आ.सं. 5336 रका 0.25 है., आ.सं. 5415 रकबा 0.40 है., आ.सं. 5416 रकबा 2.40 है., आ.सं. 5417 रकबा 0.10 है., आ.सं. 5418 रकबा 0.01 है., आ.सं. 5427 रकबा 0.03 है., आ.सं. 5428 रकबा 0.20 है., आ.सं. 5429 रकबा 0.55 है., आ.सं. 5430 रकबा 0.65 है., आ.सं. 5434 रकबा 0.40 है., आ.सं. 5442 रकबा 0.22 है., आ.सं. 5445 रकबा 0.20 है., आ.सं. 5456 रकबा 0.17 है., आ.सं. 5457 रकबा 0.13 है., आ.सं. 5461 रकबा 0.60 है., आ.सं. 5463 रकबा 0.24 है., आ.सं. 5464 रकबा 0.07 है., आ.सं. 5472 रकबा 0.23 है., आ.सं. 5473 रकबा 0.21 है., आ.सं. 5488 रकबा 0.01 है., आ.सं. 5489 रकबा 2.45 है., आ.सं. 5490 रकबा [illegible] स्थित है जिसमें वादी का हिस्सा व हक है जिसका मौके पर पक्षकारान द्वारा मौखिक बटवारा किया हुआ है लेकिन कानूनन बंटवाड़ा नहीं हो रखा है जिससे पक्षकारान के मध्य आराजी [illegible] लगान जमा कराने बाबत विवाद रहता है। वादी ने जरिये बंटवाडा डिक्री करवाने हेतु निवेदन किया है। इस लिए वादी को वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाने का पूर्ण अधिकार है। इस बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड़ बाउण्डस बंटवाड़ा हेतु प्राथमिक डिक्री इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.06.2012 के द्वारा तहसीलदार, भूपालसागर को बंटवाड़ा प्रस्ताव मौके पर जाकर बाई मिट्स एण्ड़ बाउण्डस तैयार कर न्यायालय में भिजवाने हेतु भेजा गया। उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव पर वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी की बहुपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी की बहस व बंटवाड़ा रिपोर्ट के अनुसार निम्नानुसार भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.07.12 12:21:30 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

बंट में रखी जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते हैं। फर्द मौका व बंटवाड़ा प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा।

क्र.सं.	काश्तकार	आ.नं.	रकबा
1	श्री मोहनलाल पिता प्याचन्द ब्राहम्ण	5415	0.40 है.
		5416	2.40 है.
		5417	0.10 है.
		5418	0.01 है.
		5442	0.22 है.
		5489	0.66 है.
2	श्री भंवरलाल, रतनलाल पिता चम्पालाल, सरजूबाई बेवा चम्पालाल ब्राहम्ण हिस्सा 3/8	5335	0.04 है.
		5336	0.25 है.
		5430	0.65 है.
		5434	0.20 है.
		5445	0.20 है.
		5456	0.17 है.
		5457	0.13 है.
		5464	0.07 है.
		5463	0.24 है.
		5461	0.60 है.
		5490	0.55 है.
		5489	0.69 है.
3	श्रीमती नरबदाबाई, आनन्द कुंवर, गणेशीदेवी पिता रूपलाल ब्राहम्ण	5427	0.03 है.
		5428	0.20 है.
		5429	0.55 है.
		5434	0.20 है.
		5472	0.23 है.
		5473	0.21 है.
		5488	0.01 है.
		5489	1.10 है.

इस आशय की अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.07.2022 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.07.12 12:21:30 IST
Reason: SelfAttested

(भावना सिंह)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला -चित्तौड़गढ (राज.)